

पेज नंबर 1/3

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 09/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भोमाराम पुत्र प्रेमरामजी, जाति कुम्हार, निवासी हाडेतर, तहसील सांचौर जिला जालोर।		राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार सांचौर जिला जालोरं

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से



—: निर्णय :-

दिनांक:- 13.05.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष पटवारी हल्का हाडेतर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा ग्राम हाडेतर की खसरा नंबर 400/1062 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म बारानी सोयम (गोचर) की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बना दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 50 रुपये शास्ति के आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.04.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी पर इन्दिरा आवास योजना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के तहत पक्का मकान बना हुआ है। एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा 12000/- रुपये स्वीकृत किये गये, जिससे शौचालय एवं बाथरूम बने हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में बिना वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को भेजे गये नोटिस अपीलांट के बाहर होने से विधिवत तामिल नहीं हुए। जिससे अपीलांट प्रकरण में साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अगर अपीलांट को बेदखल किया जाता है तो इससे राज्य सरकार के पैसो की हानि होगी। साथ ही अपीलांट को वादग्रस्त आराजी के संबध में नियमन/पट्टा भी दिलाया जावे। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया ग्राम हाडेतर के खसरा नंबर 400/1062 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि राजस्व रेकॉर्ड में किस्म बारानी सोयम (गोचर) दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्का मकान बनाने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरुद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम हाडेतर की खसरा नंबर 400/1062 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म बारानी सोयम (गोचर) भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काशत करने के कारण पटवारी हल्का हाडेतर द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरुद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 15.06.2015 की तारीख पेशी नियत की। इसके पश्चात दिनांक 17.06.2015 एवं दिनांक 24.06.2015 को अपीलाण्ट की पत्नी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा अतिक्रमण करना स्वीकार किया। इस पर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया। तहसीलदार सांचौर की पत्रावली पर अपीलांट की पत्नी पार्वती देवी के हस्ताक्षर हैं जिससे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत बिन्दु गौण हो जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म बारानी सोयम (गोचर) है, जो



पेज नंबर 3/3

कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।



परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 90/2015 में नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 61/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम झुंडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली